FC 250506

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

वित्त समिति की बैठक दिनांक 06 मई, 2025 का कार्यवृत्त।

लखनऊ विश्वविद्यालय की वित्त समिति की बैठक आज दिनांक 06 मई, 2025 को अपराहन् 1::00 बजे प्रशासनिक भवन स्थित मंथन कक्ष में आहूत की गयी।

बैठक में निम्न अधिकारीगण उपस्थित रहे:— -

1.	**प्रो0 आलोक कुमार राय**	**कुलपति**	**अध्यक्ष**
2.	प्रो0 मनुका खन्ना,	प्रति–कुलपति	सदस्य
3.	श्री विवेक कुमार सिंह	अपर निदेशक, पेंशन एवं कोशागार, प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव वित्त, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
4.	डा0 सुधीर कुमार	क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, लखनऊ। प्रतिनिधि प्रमुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
5.	श्री विद्यानन्द त्रिपाठी	कुलसचिव / परीक्षा नियंत्रक	सदस्य
6	श्रीमती हिमानी चौधरी	वित्त अधिकारी	सदस्य सचिव

बिन्दु संख्या–01

वित्त समिति की गत बैठक दिनांक 22 फरवरी, 2025 की अनुपालन आख्या समिति के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जिसपर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–02

वित्तीय वर्ष 2024–25 में उ0प्र0 सरकार के दिशा–निर्देशों के क्रम में सभी विश्वविद्यालयों में समस्त प्रकार के भुगतान समर्थ पोर्टल के माध्यम से किये जाने का दिशा–निर्देश दिया गया जिसके क्रम में लखनऊ वि ववि‌द्यालय में भी लेखा सम्बन्धी सम्पूर्ण पत्रावलियों का संचालन एवं भुगतान की प्रक्रिया सितम्बर–24 से समर्थ पोर्टल के माध्यम से संपादित किये जा रहे हैं। लेखा कार्यालय में वित्त वर्श 2024–25 की समाप्ति यथा 31 मार्च, 2025 की मध्यरात्रि तक लेखा कार्यालय द्वारा सभी फाइलों का निश्पादन समर्थ पोर्टल के माध्यम से किया गया। 31 मार्च, 2025 की मध्यरात्रि के बाद लेखा सम्बन्धी फाइलों का संचालन समर्थ पोर्टल पर होना बन्द हो गया। जिसके फलस्परूप वित्तीय वर्श 2024–25 की शेश बची हुई पत्रावलियों को वित्तीय वर्श 2025–26 में समर्थ पोर्टल के माध्यम से किये जाने हेतु प्रस्ताव समिति के समक्ष विचार–विमर्श हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त वित्तीय वर्श 2025–26 से भुगतान करने का अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–03

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ मे रक्षा अध्ययन विभाग में नियमित रूप से कार्यरत शिक्षक प्रो0 ओ. पी. शुक्ला को सेवानिवृत्ति तिथि दिनांक 30.06.2025 के उपरान्त उनके द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की तरह अगले आदेश अथवा अन्य पूर्णकालिक व्यवस्था होने तक डा0 ओ. पी. शुक्ला को अन्तिम वेतन से पेंशन माईनस करते हुए अग्रिम आदेशों तक सेवा में रखते हुए भुगतान किये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव पर विचार–विमर्श हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से इनकी सेवाएं नियमित फैकल्टी नियुक्त होने तक लिये जाने एवं इन्हें एक नियमित मानदेय निर्धारित करते हुए भुगतान किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया, जिसका भुगतान विश्वविद्यालय अपने स्रोतों से करेगा।

बिन्दु संख्या–04

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ समाज कार्य विभाग में स्ववित्त पोषित पाठ्यकमों के अन्तर्गत विभिन्न पाठ्यक्रमों में संविदा पर कार्यरत 07 शिक्षकों को यू.जी.सी. अनुरूप वेतन रू0 57,700/– प्रतिमाह दिये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव दिनांक 08 जनवरी, 2025 को वित्त समिति के बिन्दु संख्या–2 पर रखा गया था, जिस पर समिति द्वारा सैद्धांतिक सहमति इस शर्त के साथ प्रदान की गयी थी, कि इसे वित्तीय वर्ष 2025–26 के बजट में बजटीय प्राविधान के साथ वित्त समिति की अगली बैठक में प्रस्तुत कराएं। उक्त के क्रम में सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का आय–व्ययक वित्त समिति की बैठक दिनांक 22 फरवरी, 2025 में पारित किया जा चूका है।

अतः तत्क्रम में पुर्नविचार–विमर्श हेतु निम्नवत् प्रस्ताव प्रस्तुत।

शिक्षकों का विवरण निम्नवत् हैः–

कम सं0	शिक्षकों का नाम	विषय	वर्तमान में मिल रहा वेतन रू0	प्रस्तावित वेतन रू0
1	डा0 रजनीश कुमार यादव	समाज कार्य	50,000/–	57,700/–
2	डा0 शिखा सिंह	समाज कार्य	50,000/–	57,700/–
3	डा0 गरिमा सिंह	जनसंख्या अध्ययन	50,000/–	57,700/–
4	डा0 सध्या यादव	जनसंख्या अध्ययन	50,000/–	57,700/–
5	डा0 ओमेन्द्र कुमार यादव	अपराध शास्त्र एवं आपराधिक न्याय प्रशासन।	50,000/–	57,700/–
6	डा0 रणविजय सिंह	अपराध शास्त्र एवं आपराधिक न्याय प्रशासन।	35,000/–	57,700/–

उपरोक्त प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसपर समिति द्वारा समाज कार्य विभाग में संचालित स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों में पिछले तीन वर्षो एवं आगामी तीन वर्षो की आय–व्ययक रिपोर्ट पदो के विवरण सहित तैयार कर प्रस्तुत करने के साथ ही इसे अगली वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किये हेतु अनुमोदन प्रदान किया।

बिन्दु संख्या–05

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ के स्टाफ क्लब में परिचर के पद पर कार्यरत बब्लू को दैनिक वेतन की दर पर दिनांक 01.02.2019 से भुगतान सम्बन्धी प्रकरण पर वित्त समिति की बैठक दिनांक 26.03.2022 के बिन्दु संख्या 06 में लिए गये निर्णय के आलोक में प्रकरण पर पुनः परीक्षण हेतु मा0 कुलपति के अनुमोदन के क्रम में कार्यालय ज्ञाप संख्या पी/19490 दिनांक 12.10.2022 द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 21.02.2024 की आख्या रिपोर्ट दिनांक 01 जुलाई, 2024 को आयोजित वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जिसपर समिति द्वारा रिपोर्ट में प्रस्तुत सस्तुतियों के आधार पर पर कार्यवाही किये जाने की अनुमति प्रदान की जा चुकी है। प्रकरण पुनः समिति के समक्ष विचार–विमर्श हेतु प्रस्तुत किया गया, जिस पर समिति द्वारा उक्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को गठित समिति की रिपोर्ट दिनांक 21.02.2024 के अनुसार दिनांक 01.02.2019 से 21.02.2024 तक दैनिक वेतन मजदूरी का भुगतान नियमानुसार किये जाने एवं तदुपरान्त इनकी सेवाएं एजेन्सी के माध्यम से लिए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–06

प्रो0 गौरी सक्सेना, वनस्पति विज्ञान विभाग द्वारा स्नातक एवं परास्नातक कृषि के संचालन हेतु तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को मानदेय एवं अनुसांगिक व्यय के लिए निर्धारण से सम्बन्धित प्रस्ताव समिति के समक्ष विचार–विमर्श हेतु निम्नवत् प्रस्तुत।

कर्मचारी की श्रेणी	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिमाह दिये जाने वाला मानदेय
तृतीय श्रेणी	02	रू0 1500/–
चतुर्थ श्रेणी	02	रू0 1000/–
कंटिजेन्सी (आकस्मिक मद)	–	रू0 200000/– वार्षिक

उक्तानुसार प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त इसे अगली बैठक में प्रस्तुत किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–07

प्रो० गौरी सक्सेना, वनस्पति विज्ञान विभाग द्वारा प्रस्तुत B.Sc. (Hons) Agriculture Programme under Faculty of Agriculture से सम्बन्धित प्रस्ताव समिति के समक्ष विचार–विमर्श हेतु प्रस्तुत किया गया, जिसपर समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्य बिन्दु मा0 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

अन्य बिन्दु

अन्य बिन्दु संख्या–01

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ मे अभियांत्रिकी एवं तकनीकी संकाय में पूर्व में सृजित पदों को शासन से अनुमोदित कराए जाने विषयक प्रस्ताव समिति के समक्ष विचार–विमर्श हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया,, जिस पर समिति द्वारा अभियांत्रिकी एवं तकनीकी संकाय में संचालित पाठ्यक्रमों में पिछले तीन वर्षों एवं आगामी तीन वर्षों की आय–व्ययक रिपोर्ट तैयार करने के उपरान्त विश्वविद्यालय स्तर पर समीक्षा करने के उपरान्त ही इसे अगले वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया।

अन्य बिन्दु संख्या–02

लखनऊ विश्वविद्यालय में 28 मार्च, 2025 से शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों हेतु लागू कैश–लेस चिकित्सा सुविधा, जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु प्रथम किश्त/प्रीमियम के रूप में दी गयी धनराशि रू0 1,18,00,000/–(जी.एस.टी.सहित) की निरन्तरता बनाए रखने हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 से प्राविधान/प्रीमियम के रूप में दी जाने वाली धनराशि (वास्तविक व्यय) के बजटीय प्रविधान के सम्बन्ध में प्राप्त प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष विचार–विमर्श हेतु प्रस्तुत किया गया, जिस पर समिति द्वारा सर्वसम्मत से अनुमोदन प्रदान करते हुए उक्त सुविधा को आगामी वर्षों में संचालित करने के लिए सामान्य निधि के अन्तर्गत सुसंगत मद से भुगतान किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्य बिन्दु संख्या–03

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ मे अभियांत्रिकी एवं तकनीकी संकाय/भैषजिक विज्ञान संस्थान मे कार्यरत् संविदा शिक्षको/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को ई0पी0एफ0 योजना से आच्छादित किये जाने हेतु उनके वेतन से 10 प्रतिशत की दर से जुलाई.–2019 से सी0पी0एफ0 के रूप मे की गयी कटौती की धनराशि मे 02 प्रतिशत की अतिरिक्त कटौती वर्तमान मे कार्यरत् संविदा शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियो के वेतन से करने एवं 12 प्रतिशत का नियोक्ता अंशदान जमा करने तथा संकाय की सेवा को छोड़कर जा चुके संविदा शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन से की गयी कटौती की धनराशि वापस किये जाने के सम्बन्ध मे विचार–विमर्श हेतु प्रस्तुत किया गया, जिस पर समिति द्वारा सर्वसम्मत से अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्य बिन्दु संख्या–04

कुलसचिव कार्यालय, सूचना प्रकोष्ठ मे कार्यरत कार्मिकों को मा0 राज्य सूचना आयोग,, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ में वाद की पैरवी/सुनवाई हेतु जाने के लिए कम से कम 02 पटल सहायकों को जल–पान हेतु रू0 75/– प्रति दिन के दर से दिये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव समिति के समक्ष विचार–विमर्श हेतु प्रस्तुत किया गया, जिस पर समिति द्वारा सर्वसम्मत से अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्य बिन्दु संख्या–05

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ में लोक प्रशासन विभाग में अटल सुशासन पीठ के नाम से स्थापित शोधपीठ हेतु तैयार किये गये आय–व्ययक पर विचार–विमर्श हेतु प्रस्तुत किया गया, जिस पर समिति द्वारा सर्वसम्मत से अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्य बिन्दु संख्या–06

टैगोर पुस्तकालय की साईबर लैब के अन्तर्गत कम्प्टूर लैब–सी में स्थापित कम्प्यूटर जोकि वर्ष 2019 में क्रय किये गये थे, जोकि वर्तमान में सॉफटवेयर काम्पीटेबिल्टी एवं स्पीड के दृष्टिगत प्रयोग में नही लाए जा रहे हैं, के सम्बन्ध में तकनीकी समिति के द्वारा प्रस्तुत रिपार्ट पर विचार–विमर्श हेतु प्रस्तुत किया गया, जिस पर समिति द्वारा सर्वसम्मत से अनुमोदन प्रदान करते हुए इन कम्प्यूटरों को राजभवन द्वारा गोद लिये गये ऑगनवाडी केन्द्रों को दिये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

(हिमानी चौधरी)
वित्त अधिकारी

(विद्यानन्द त्रिपाठी)
परीक्षा नियंत्रक/कुलसचिव

(डा0 सुधीर कुमार)
क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,
प्रतिनिधि प्रमुख्य सचिव, उ0शि0
उ0प्र0 शासन।

(विवेक कुमार सिंह)
अपर निदेशक, पेंशन एवं कोषागार,
प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव (वित्त),
उ0प्र0 शासन।

(प्रो0 मनुका खन्ना)
प्रति–कुलपति

(प्रो0 आलोक कुमार राय)
कुलपति